न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी, कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 01/2016/निगरानी

बनवारी लाल पुत्र भगवान सहाय जाति कुमावत निवासी ग्राम शिश्यूं, पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर (राज.)

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. गीग लाल पुत्र स्वर्गीय लादूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम शिश्यूं, पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर (राज.)
2. सरपंच ग्राम पंचायत शिश्यूं पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर

—गैर निगरानीकर्तागण

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र पारीक, अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सं. 1 की ओर से।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.01.2016 द्वारा प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति पिपराली बउनवानी गीगलाल बनाम बनवारी लाल

निर्णय

दिनांकः 06 अगस्त, 2024

1. निगरानीकर्ता की ओर से वकील श्री महेन्द्र पारीक के द्वारा प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति पिपराली के द्वारा प्रकरण बउनवानी गीगलाल बनाम बनवारी लाल में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है:—

   (1) निगरानीकर्ता के द्वारा पैतृकि सम्पत्ति का पारिवारिक बाह्मी बंटवारा होने के पश्चात् अपने हिस्से में आई उत्तरी साईड की 1/2 खाली जगह जिसमें गड्ढे पड़े हुए थे। उक्त खाली जमीन 1/2 हिस्से के अनुसार निगरानीकर्ता को पारिवारिक बंटवारे के तहत दी गई जो पारिवारिक बाह्मी बंटवारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के द्वारा दिया गया था। निगरानीकर्ता के द्वारा अपने हिस्से में आई आवासीय जमीन का गहरा भराव कराया। भराव कराने के पश्चात् आवास—निवास के लिए परिवार के रहने के वास्ते पक्के मकानात बनवाये जो बहामी बंटवारा आज से 27

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

वर्ष पूर्व हुआ था। निगरानीकर्ता के द्वारा विधिवत रूप से विधिक पालना करते हुए ग्राम पंचायत शिश्यूं द्वारा दिनांक 20.01.1997 को पट्टा प्राप्त किया। उक्त पट्टे के विरूद्ध झूठे तथ्य अंकित करते हुए गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के द्वारा एक अपील–निगरानी पंचायत समिति पिपराली के समक्ष प्रस्तुत की गई। पंचायत समिति पिपराली के द्वारा रिकॉर्ड के विरूद्ध जाकर मियाद बाहर अपील निगरानी को स्वीकार करते हुए विधि विरुद्ध जाकर निगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड का पट्टा निरस्त फरमा दिया गया। पंचायत समिति पिपराली का आदेश दिनांकित 20.01.2016 विधि विरूद्ध एवम् रिकॉर्ड के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(2) ग्राम पंचायत शिश्यू के द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 6(iii) दिनांकित 20.01.1997 तद्नुसार जारी पट्टा संख्या 19 दिनांकित 05.08.1997 पूर्णतया से कानूनी पालना करते हुए नियमानुसार सही व सत्य बनाया गया था एवम् ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा जारी करने में सभी नियम उप–नियमों का पूर्णतः पालन किया था जो पत्रावली के अनुसार सही व सत्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(3) निगरानीकर्ता का पिता व गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 सगे भाई थे। निगरानीकर्ता के पिता के देहान्त के पश्चात् परिवार में गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ही परिवार में बड़ा व मुखिया था जो पढ़ा लिखा होने के साथ–साथ वरिष्ठ अध्यापक था। जिसने स्वयं ही प्रश्नगत पैतृकि सम्पत्ति का पारिवारिक बाहमी बंटवारा किया था। पारिवारिक बाहमी दक्षिणी भाग का जिसमें मकानात आदि बने हुए थे। उक्त 1/2 हिस्सा गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 ने अपने पास रखा था एवम् उत्तर साईड की 1/2 खाली जगह जिसमें गड्ढे पड़े हुए थे। उक्त खाली जमीन 1/2 हिस्से के अनुसार निगरानीकर्ता के हिस्से में बंटवारे में दी गई थी। इस प्रकार से पैतृकि आवासीय सम्पदा का बंटवारा स्वयं ही गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 ने किया था। निगरानीकर्ता के द्वारा अपना हिस्सा 1/2 खाली आवासीय जमीन में गहरा भराव कराया। भराव करवाने के पश्चात् आवास–निवास के लिए परिवार के रहने के लिए पक्के मकान बनवाये। बाहमी बंटवारा गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 के द्वारा 27 वर्ष पूर्व किया गया था तथा अपने हिस्से में खाली जमीन पर चार दिवारी एवम् आवासीय मकान बनाये 26 वर्ष हो चुके है। निगरानीकर्ता के द्वारा अपने हिस्से के मकानों में विद्युत कनेक्शन लिए हुए 26 वर्ष हो चुके है। इस प्रकार से पारिवारिक

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से पर मकान बनाने के पश्चात् अपने हिस्से का विधिवत रूप से सभी विधिक पालना करते हुए ग्राम पंचायत शिश्यू के द्वारा दिनांक 05.08.1997 को विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया था। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति पिपराली के द्वारा जारी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) निगरानीकर्ता के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पैतृकि बाह्मी बंटवारे में प्राप्त आवासीय सम्पदा के लिए पट्टे हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत के द्वारा विधिवत रूप से नोटिस जारी करके एवम् पर्याप्त समय देकर कोई आपत्ति नहीं आने पर एवम् विधिवत रूप से स्थल निरीक्षण करवाकर एवम् विधिवत रिपोर्ट प्राप्त करके ग्राम पंचायत की पूर्ण कोरम के साथ बैठक बुलवाकर पूर्ण कोरम की उपस्थिति में प्रस्ताव संख्या 6(iii) पारित करते हुए पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 के द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 6(iii) दिनांकित 20.01.1997 एवम् तद्नुसार जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 05.08.1997 के विरूद्ध अपील सन् 2014 में की गई जो 18 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी। जबकि गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 के द्वारा अपनी सहमति से निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा बनवाया था। जिसका ज्ञान गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 को प्रारम्भ से ही रही है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के आदेश के 30 दिन के अन्दर अन्दर ही पंचायत समिति के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। लेकिन गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के द्वारा 18 वर्ष पश्चात् बिना किसी उचित कारण के व विलम्ब का उचित स्पष्टीकरण दिये बिना मियाद बाहर जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। जो विलम्ब किसी भी तरह से माफ किये जाने योग्य नहीं था तथा अपील–निगरानी मियाद के बाहर होने के बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य थी। पंचायत समिति के द्वारा अपने आदेश में विलम्ब माफ किये जाने के बारे में अपने आदेश में कोई निर्णय नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति का आदेश किसी भी रूप में Speaking Order की श्रेणी में नहीं आता है तथा पंचायत समिति का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) निगरानीकर्ता के द्वारा पैतृकि आवासीय सम्पदा के बाह्मी बंटवारे में आने के पश्चात् मकानात आदि बनाकर पट्टे के लिए आवेदन किया था। जिसके बाबत

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया है। पैतृकि सम्पदा का अपने हिस्से का पट्टा बनवाना किसी प्रकार से व्यक्तिगत धनीय हित की श्रेणी में नहीं आता है। धनीय हित में वह सम्पदा आती है जब निगरानीकर्ता पंचायत या सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करके अपने धनीय हित के लिए पट्टा बनवाता है जो व्यक्तिगत धनीय हित में आना स्वभाविक था। लेकिन निगरानीकर्ता के द्वारा पैतिक सम्पदा के अपने हिस्से का विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा बनावाया है जो सही व सत्य है। इसलिए पंचायत समिति का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) ग्राम पंचायत के द्वारा. पारित प्रस्ताव संख्या 6(iii) दिनांकित 20.01.1997 तद्नुसार जारी पट्टा सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित किया गया है कहने का तात्पर्य यह है कि बहुमत से भी अधिक सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि पंचायत समिति के द्वारा पूर्ण बहुमत से जारी प्रस्ताव को विधि विरूद्ध जाकर अवैध मानते हुए पट्टा खारिज किया है। पंचायत समिति के द्वारा कानून की गलत व्याख्ता करते हुए मियाद बाहर प्रस्तुत अपील–निगरानी में आदेश पारित करते हुए पट्टा खारिज करने का आदेश पारित किया है।

(8) अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि पंचायत समिति का आदेश दिनांकित 20.01.2016 को निरस्त फरमाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया व ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड तलब किया गया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील निगरानीकर्त्ता ने निगरानी में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि, निगरानीकर्त्ता का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 05.08.1997 को बनाया गया है। निगरानीकर्त्ता की मृत्यु के पश्चात पैतृक सम्पत्ति का पारिवारिक बाह्मी बंटवारे में मकान वाला हिस्सा बड़े भाई ने ले लिया था निगरानीकर्त्ता के हिस्से में खाली जमीन मिली थी, जिसका पट्टा बनवाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये पट्टे लगभग 27 वर्ष निरस्त किया गया है जो कि अवधि बाहर है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

दौराने बहस वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने कथन किया कि निगरानीकर्त्ता के नाम से जारी पट्टा पुराने नियम 266 के आधार पर जारी किया गया था। नियम 266 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पट्टा जारी करने के समय निगरानीकर्त्ता स्वयं पंच था जिसने बैठक में उपस्थित रहते हुए कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर भी किये हैं। विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड अकेले निगरानीकर्त्ता के आधिपत्य का न होकर हमारे पिता की पैतृक सम्पत्ति है, जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा पी.डी. जारी कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि, प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति पिपराली द्वारा पारित आदेश में पट्टा खारिज करने के लिए जिन तथ्यों को आधार बनाया गया है निगरानीकर्त्ता ने उसके विरूद्ध को ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। यह न्यायालय पंचायत समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2016 को उचित समझता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्त्ता की निगरानी **खारिज** की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक **06 अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर